न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

/13 | तारीख रजू 03.07.2013 | तारीख निर्णय 18.05.2018

उनवान

1. कल्लू पुत्र श्री रहमत
2. अय्यूब पुत्र श्री रहमत
3. मोरमल पुत्र श्री कमला
4. आस मोहम्मद पुत्र श्री कमला
5. शादी पुत्र कालू
6. रहमान पुत्र दरबू
7. शेर मोहम्मद पुत्र श्री दरबू पौत्र कालू
8. लियाकत पुत्र सरपू पौत्र दरबू
9. हारून पुत्र सरपू पौत्र दरबू
10. जुनैद पुत्र सरपू पौत्र दरबू
11. कमाल पुत्र श्री कडकल्ली
12. जसमाल पुत्र श्री कडकल्ली
13. इस्लाम पुत्र श्री कडकल्ली
14. नसरू पुत्र श्री चुन्नी नबीरा कालू
15. छोटा पुत्र श्री चुन्नी नबीरा कालू निवासियान रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम कालाघाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व इसका साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा था जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गान की थी, जो वर्तमान में वादी सं0 1 ला0 5 व वादी सं0 6 ला0 10 के पिता व दादा व वादी सं0 11 ला0 15 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी में वादी सं0 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 4 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 6 ला0 10 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 11 ला0 13 का 1/6 हिस्सा व वादी सं0 14 ला0 15 का 1/6 हिस्सा है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

होने से पूर्व व इसके बाद आज तक निरन्तर चला आ रहा है। ताईद में जमाबन्दी सम्वत [illegible] से 2015 संलग्न है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर अर्से दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए कानूनन वादीगण को विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हांसिल हो चुके हैं जिस कारण वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराने के व कागजातमाल में गैरखातेदार के बजाय खातेदार दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम कालाघाटा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 4 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 6 ला0 10 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 11 ला0 13 का 1/6 हिस्सा व वादी सं0 14 ला0 15 का 1/6 हिस्से का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। और कागजातमाल में जहां–जहां भी वादीगण को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन कराया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 ग्राम कालाघाटा के विवादित आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 हैक्ट0 कल्लू, अय्यूब पिता रहमत 1/6 हिस्सा, मोरमल, आसमोहम्मद पिता कमला 1/6 हिस्सा, दरबू, शादी पिता कालू हिस्सा 1/3, कमाल, जसमाल, इस्माल पिता कडकल्ली हिस्सा 1/6, नसरू, छोटा नबीरा कालू 1/6 सा0 समभाग मेव सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 का साबिक खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है। बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम कालाघाटा सम्वत 2020 में आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कालू वल्द घमन कौम मेव सा0 रघुनाथगढ साल 6 गैरखातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 3 बीघा 14 बिस्वा बना है। जमाबन्दी सम्वत 2011 ग्राम कालाघाटा में कालू वल्द घमन मेव साकिन रघुनाथगढ गैर मौरूसी दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर रघुनाथगढ में दिनांक 18.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक विवादित

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

आराजी वादीगण के बुजुर्गान की थी, जो वर्तमान में वादी सं0 1 ला0 5 व वादी सं0 6 ला0 10 के व दादा व वादी सं0 11 ला0 15 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी में हिस्सानुसार काबिज है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व व इसके बाद आज तक निरन्तर चला आ रहा है। जो जमाबन्दी सम्वत 2011 से से बखूबी साबित होती है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर अर्से दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है। बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम कालाघाटा सम्वत 2020 में आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कालू वल्द घमन कौम मेव सा0 रघुनाथगढ साल 6 गैरखातेदार दर्ज है। मिलान सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 3 बीघा 14 बिस्वा बना है। जमाबन्दी सम्वत 2011 ग्राम कालाघाटा में कालू वल्द घमन मेव साकिन रघुनाथगढ गैर मौरूसी दर्ज रिकार्ड है। इसलिए कानूनन वादीगण को विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हांसिल हो चुके है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम कालाघाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी सं0 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 4 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 6 ला0 10 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 11 ला0 13 का 1/6 हिस्सा व वादी सं0 14 ला0 15 का 1/6 हिस्से का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व कागजातमाल में जहां–जहां भी वादीगण को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
धिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
धिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/13	03.07.2013	18.05.2018

उनवान

1. कल्लू पुत्र श्री रहमत
2. अय्यूब पुत्र श्री रहमत
3. नोरमल पुत्र श्री रहमत
4. आस मोहम्मद पुत्र श्री कमला
5. शादी पुत्र कालू
6. रहमान पुत्र दरबू
7. शेर मोहम्मद पुत्र श्री दरबू पौत्र कालू
8. लियाकत पुत्र सरपू पौत्र दरबू
9. हारून पुत्र सरपू पौत्र दरबू
10. जुनैद पुत्र सरपू पौत्र दरबू
11. कमाल पुत्र श्री कडकल्ली
12. जसमाल पुत्र श्री कडकल्ली
13. इस्लाम पुत्र श्री कडकल्ली
14. नसरू पुत्र श्री चुन्नी नबीरा कालू
15. छोटा पुत्र श्री चुन्नी नबीरा कालू निवासियान रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

...................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम कालाघाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी सं0 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 4 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 6 ला0 10 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 11 ला0 13 का 1/6 हिस्सा व वादी सं0 14 ला0 15 का 1/6 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व कागजातमाल में जहां–जहां भी वादीगण को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0